तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज
28/6/17	पत्रावली राजस्व लोक अदालत में पेश हुई प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उपस्थित दोनों पक्षों को सुना गया। अप्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के मध्य आराजियात मुतनाजा को पैतृक सम्पत्ति होने से आराजियात मुतनाजा में अप्रार्थीगण ने अपना हक हिस्सा सहखातेदार के रूप में होना स्वीकार किया है। पेश दस्तावेजात से भी आराजियात पैतृक सम्पत्ति होना प्रतीत होती है प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज होना प्रतीत होती है जिससे आपसी प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस प्रतीत होता है सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्र. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा ... दिनांक 5/1/18 को तक फैसला वाद स्वीकार किया जाता है। पत्रावली ... पेश हो।